जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

कोटा

Rashtradoot

फोनः- 2386031, 2386032 फैक्सः- 0744-2386033 वर्षः 48 संख्याः 104 प्रभात कोटा, गुरुवार 26 जनवरी, 2023 कोटा/24/2012-14 पृष्ठ 8 मूल्य 2.50 रु.

'सुषमा स्वराज के पास राजनैतिक शक्ति नहीं थी, मैं मोदी के विश्वस्त डोवल के साथ ही डील करता था'

अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पॉम्पेओ ने अपनी नई किताब में भारत के विदेश मंत्रियों के साथ अपनी डीलिंग्स पर लिखे चैप्टर में कहा

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 25 जनवरी। जो चीज राजनैतिक हल्कों में सुविदित थी किन्तु आम लोगों की जानकारी में नहीं थी, उस बात की पुष्टि अमेरिका के पूर्व सेक्रेटरी ऑफ स्टेट (विदेश मंत्री) माइक पॉम्पेओ ने भी कर दी है। पॉम्पेओ ने कहा है कि उन्होंने भारत की विदेश मंत्री रहीं सुषमा स्वराज को एक "महत्वपूर्ण राजनैतिक हस्ती" कभी नहीं पाया तथा वे (पॉम्पेओ) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विश्वस्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवाल के साथ काम करने को प्राथमिकता देते थे।

- पॉम्पेओ ने यह टिप्पणी कर उस बात की पुष्टि कर दी है, जो जगजाहिर थी पर कभी स्वीकारी नहीं गई।
- पॉम्पेओ ने अपनी किताब में मौजूदा विदेश मंत्री एस. जयशंकर की तारीफ की, उन्होंने किताब में जयशंकर को "जे" नाम से संबोधित किया और कहा कि इससे बेहतर समकक्ष नहीं मिल सकता था।

अपनी नवीनतम पुस्तक "नैवर गिव एन इंच: फाइटिंग फॉर द अमेरिका आई लव" में अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री ने कहा है कि सुषमा स्वराज, मई 2014 से मई 2019 तक विदेश मंत्री रही थीं और मुझे लगा कि वे राजनैतिक रूप से महत्वपूर्ण नहीं थी हस्ती", किन्तु विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने पहली मीटिंग में ही बहुत प्रभाव छोड़ा।

मंगलवार को यह पुस्तक बुक-स्टोर्स पर पहुँच गई तथा इसकी खूब चर्चा रही। इस पुस्तक में पॉम्पेओ ने सुषमा को कुछ उपेक्षा की शिकार बताया है तथा उनके लिये तुच्छ अमेरिकन शब्दों "गूफ बॉल" तथा "हार्टलैंड पॉलिटिकल हैक" का प्रयोग किया है।

पॉम्पेओ का रहस्योद्घाटन इस कटु वास्तविकता को सामने लाता है कि मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्रियों के साथ कैसा बर्ताव किया जाता है। यह ध्यान देने योग्य है कि सुषमा स्वराज भाजपा की एक सीनियर नेता थीं, लेकिन फिर भी विदेशी राजनयिकों, खासतौर पर अमेरिका के, ने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया क्योंकि प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण से वे राजनैतिक रूप से दमदार नहीं थीं। लेकिन सुषमा ने अपनी नाराजगी को कभी सार्वजनिक नहीं किया क्योंकि वे संघ और भाजपा के अनुशासन से बंधी हुई थीं। स्वराज का अगस्त 2019 में निधन हो गया था।

59 वर्षीय पॉम्पेओ अपनी किताब में लिखते हैं कि "भारत में, मेरा वास्तविक समकक्ष (भारतीय विदेश मंत्री) भारतीय विदेश नीति टीम का महत्वपूर्ण भाग नहीं था। इसके बजाए मैंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एवं प्रधानमंत्री मोदी के विश्वासपात्र अजित डोभाल के साथ अधिक निकटता से काम किया।"

अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प के विश्वासपात्र पॉम्पेओ उनके प्रशासन में वर्ष 2017 से 2018 तक सी.आई.ए. के डायरैक्टर रहे और फिर वर्ष 2018 से 2021 तक अमेरिका के विदेश मंत्री रहे।

अमेरिका का यह पूर्व शीर्ष राजनयिक, जो वर्ष 2024 में होने जा रहे राष्ट्रपति पद के चुनाव में अपनी संभावना तलाश रहा है, लिखता है कि "मेरे दूसरे भारतीय समकक्ष सुब्रमण्यम जयशंकर थे। मई 2019 में हमने भारत के नए विदेश मंत्री के रूप में "जे" का स्वागत किया। मैं इससे अच्छे "काउंटर पार्ट" की चाह नहीं कर सकता था। मैं इस व्यक्ति को पसंद करता हूं। उनके द्वारा बोली जाने वाली सात भाषाओं में से एक अंग्रेजी है, और कुछ अर्थों में वह मुझसे बेहतर है।"

पॉम्पेओ ने अपनी किताब में जयशंकर का चित्रण इस प्रकार किया है कि "वे पेशेवर और तर्कपूर्ण हैं और अपने बॉस एवं देश के जबर्दस्त पक्षधर हैं।"

उन्होंने कहा कि वो समझ सकते हैं कि मुझे उनकी पूर्ववती के साथ काम करने में परेशानी क्यों हुई थी। मैंने मजाक में प्रत्युत्तर दिया। मैं भी ऐसा ही हूं वह हंसे कि यदि यह सच होता तो यह मुझे ऐसा पहला सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्षपाती राजनेता बना देता जो कभी हार्वड लॉ रिव्यू का संपादक रहा हो। पॉम्पेओ ने जयशंकर के लिए "जे" संबोधन करते हुए कहा- "वैल प्लेड।"

पॉम्पेओ के दावों पर टिप्पणी करते हुए जयशंकर ने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए न्यूज़ एजेंसी पी.टी.आई. को बताया कि "मैंने सुषमा स्वराज जी के जिक्र वाले मंत्री पॉम्पेओ की पुस्तक के अंश को पढ़ा है। मैंने हमेशा सुषमाजी का बहुत आदर किया है तथा मेरे उनके साथ निकट एवं मधुर संबंध थे। मैं उनके लिए अमेरिका की बोलचाल की भाषा में कहे गए अनुचित शब्दों की निंदा करता हूं।"

'कर्मचारी को कोविड वैक्सीन लगाने के लिए बाध्य नहीं कर सकते'

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 25 जनवरी। दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला दिया है कि नियोक्ता अपने कर्मचारियों को कोविड -19 का वैक्सीन लगवाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह की एकलपीठ ने दिल्ली के एक सरकारी स्कूल शिक्षक की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया। याचिका में मांग की गई थी उसे कोविड-वैक्सीन लगवाने के लिए बाध्य न किया जाए तथा पढ़ाने और अन्य कार्यों की जिम्मेवारी उठाने दी जाए। उन्होंने संबंधित

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस प्रतिभा सिंह ने एक सरकारी शिक्षक की याचिका पर यह फैसला दिया।

'सुप्रीम कोर्ट ने कोई "सैन्सिटिव" रहस्य उजागर नहीं किया'

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 25 जनवरी। कांग्रेस नेता तथा वरिष्ठ एडवोकेट पी. चिदम्बरम ने कहा कि जनता को यह जानने का अधिकार है कि केन्द्र सर्वोच्च न्यायालय कोलीजियम द्वारा भेजे गये नामों को "मनमाने" आधार पर कैसे खारिज कर देता है। इस मामले में मुख्य बात यह है कि सौरभ किरपाल, जो खुले आम समलैंगिक एडवोकेट हैं तथा जिनके नाम की सिफारिश उच्च न्यायालय के जज के लिये की गई थी, पर केन्द्र सरकार ऐतराज कर रही है।

- सुप्रीम कोर्ट कोलीजियम पर कानून मंत्री रिजीजू ने संवेदनशील रहस्योद्घाटन का जो आरोप लगाया उस पर वरिष्ठ अधिवक्ता एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम ने टिप्पणी की।

कल केन्द्रीय विधि मंत्री किरेन रिजीजू ने इस बात पर गहरी चिन्ता व्यक्त की थी कि सर्वोच्च न्यायालय उन उम्मीदवारों के बारे में रॉ तथा बी द्वारा दी गई जानकारियों को उजागर कर रहा है, जिनके नामों की अनुशंसा पदोन्नति के लिये की गई है। विधि मंत्री की इस टिप्पणी के एक दिन बाद, अथौत आज कांग्रेस नेता पी. चिदम्बरम ने कहा कि ऐसी कोई संवेदनशील बात उजागर नहीं हुई है जो राष्ट्रीय सुरक्षा एवं अखंडता से

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अवकाश की सूचना

गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रदूत कार्यालय में दिनांक 26 जनवरी को अवकाश रहेगा। अतः दैनिक राष्ट्रदूत का अगला अंक 28 जनवरी को प्रकाशित होगा। -प्रबंध सम्पादक

'बदहाल पाकिस्तान की जनता की गुहार क्रांतिकारी सुधार किया जाए'

पाकिस्तान के जाने-माने विश्लेषक और लेखक मोशर्रफ ज़ैदी ने एक रिपोर्ट में बदहाल पाकिस्तान की तुलना तेजी से आगे बढ़ रहे भारत से करते हुए कहा

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 25 जनवरी। ताजा खबरें संकेत देती हैं कि पाकिस्तान आर्थिक और वित्तीय रूप से बहुत बुरी स्थिति में है। दुःख की और बात ये भी है कि देश की सेना द्वारा बेलगाम हस्तक्षेप करने और नीति निर्माताओं की अक्षमता के कारण वहां आंतरिक अशांति है। इसीलिए पाकिस्तान में आंतरिक सुधारों की मांग जोर-शोर से बढ़ रही है।

इसके विपरीत भारत आर्थिक रूप से तथा विश्व स्तर पर मजबूत हो गया है और प्रधानमंत्री मोदी को कईयों द्वारा विश्व का सर्वाधिक प्रभावशाली नेता बताया जा रहा है।

पाकिस्तान के न्यूज़ इन्टरनैशनल के लेखक एवं विश्लेषक मोशर्रफ़ ज़ैदी ने अपने एक लेख में स्पष्ट किया है कि आपस में उलझे परमाणु हथियार सम्पन्न दोनों पड़ोसी देशों की संक्षेप में क्या स्थिति है।

दो दशक पूर्व भारत की जी.डी.पी. 450 बिलियन डॉलर से अधिक थी और पाकिस्तान की 63 बिलियन डॉलर। कैनेडा की जी.डी.पी. 678 बिलियन डॉलर, यू.के. की 1,690 बिलियन डॉलर या 1.69 ट्रिलियन डॉलर थी तथा फ्रांस की जी.डी.पी. 1,490 बिलियन डॉलर या 1.49 ट्रिलियन डॉलर थी। तब भारत एक गरीब देश था, जिसमें बहुत से लोग गरीब थे।

आज यू.के. की जी.डी.पी. बढ़कर 3.13 ट्रिलियन डॉलर हो गई है और फ्रांस की 2.96 ट्रिलियन डॉलर। कैनेडा की जी.डी.पी. बढ़कर करीब 2 ट्रिलियन डॉलर हो गई है और भारत की 3.18 ट्रिलियन डॉलर। भारत में अब भी गरीब लोग हैं, लेकिन फिर भी यह एक अमीर देश है। वर्ष 1999 में वैश्विक मंच पर अपना स्थान बनाने को लेकर भारत अक्षम था, लेकिन अब स्थिति बिल्कुल बदल गई है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- उन्होंने कहा, दो दशक पहले भारत की जी.डी.पी. 450 बिलियन डॉलर थी, जो अब बढ़ कर 3.18 ट्रिलियन डॉलर हो गई है, भारत अब सम्पन्न देश है। पाकिस्तान की जी.डी.पी. 20 साल पहले 63 बिलियन डॉलर थी, जो अब 350 अरब डॉलर हो गई है और इस मामूली सी बढ़ोतरी पर भी पाकिस्तान का एक वर्ग जश्न मना रहा है, जबकि एक बड़ा वर्ग हताश और निराश है।

क्या प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या फर्जी है?

गैस सिलेण्डर वितरक कम्पनियाँ और सरकारी तेल कम्पनियाँ इस विवाद को लेकर हाई कोर्ट पहुँची

-यादवेन्द्र शर्मा-

जयपुर, 25 जनवरी। प्रदेश में एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर वितरक और एल.पी.जी. गैस उत्पादन करने वाली सरकारी तेल कम्पनियों के बीच का एक बड़ा विवाद राजस्थान हाईकोर्ट तक पहुंचा है। विवाद के अनुसार पिछले वर्ष 18 जुलाई को केन्द्रीय पैट्रोलियम एवं गैस मंत्रालय ने प्रदेश में कार्यरत एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर वितरकों को पत्र लिखकर आदेश पारित किये कि वे 31 जुलाई तक प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों के पूरे परिवार के आधार कार्ड की जानकारी मुहैया करायें। गौरतलब है कि इस योजना के मूल संस्करण के अनुसार लाभार्थी को एल.पी.जी. कनेक्शन के लिए केवल उक्त महिला की आधार कार्ड की जानकारी मंत्रालय को मुहैया करानी थी।

यहां उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का वर्ष 2016 में उद्घाटन किया गया था, जिसके अन्तर्गत भारत में गरीबी रेखा के नीचे बसर कर रहे किसी भी परिवार की महिला को एल.पी.जी. गैस कनेक्शन दिया जाता है। इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वाले परिवार के आंकड़े 2011 में करे गये आर्थिक सामाजिक एवं जातिगत जनगणना के आधार पर प्राप्त किये गए थे और फिर ये आंकड़े सभी सरकारी तेल कम्पनियों को दिये गये थे। इस योजना के मूल संस्करण के अनुसार गरीबी की रेखा के नीचे बसर कर रहे किसी भी परिवार की महिला को एल.पी.जी. कनेक्शन दिया जाना था और उसके लिए केवल उक्त महिला की आधार कार्ड की जानकारी मंत्रालय को मुहैया करानी थी।

गौर फरमाने योग्य है कि 28 मार्च 2018 को विभिन्न सरकारी तेल कम्पनियों द्वारा यह आदेश पारित किये गये थे कि एल.पी. जी. गैस वितरण कम्पनियों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लाभान्वित महिला के अलावा परिवार के एक अन्य सदस्य के आधार कार्ड की जानकारी भी अपलोड करनी होगी, और साथ ही यह चेतावनी दी गई कि अगर एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर वितरक कम्पनियों ने निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत यह जानकारी नहीं दी तो उनके द्वारा जारी किये गये सभी गैस कनेक्शन खारिज माने जायेंगे और उक्त वितरक कम्पनियों पर कड़ी कार्रवाई करी जायेगी।

इस मामले में पैट्रोलियम मंत्रालय व विभिन्न सरकारी तेल कम्पनियों का कहना है कि नियंत्रक और महालेखाकार परीक्षक (कैग) की एक ऑडिट रिपोर्ट में पाया गया कि कई अयोग्य लोगों को भी इस योजना के तहत लाभ पहुंचाया गया था और कई लोग जो 2011 की गनगणना के अनुसार अल्पवयस्क थे उन्हें भी गैस कनेक्शन दिये गये। इस तथ्य के कारण ही पैट्रोलियम मंत्रालय ने गैस सिलेण्डर वितरक कम्पनियों से लाभाविन्त सभी परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड की जानकारी मांगी है।

राजस्थान के एल.पी.जी. गैस वितरक कम्पनी के एक संघ ने पैट्रोलियम मंत्रालय की ओर से 18 जुलाई 2022 को जारी किए गये आदेश को चुनौती देते हुए राजस्थान हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की और कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में लाभार्थियों की जानकारी 2011 की जनगणना पर आधारित थी, परन्तु 2011 से अभी तक करीब 11 वर्षों में कई परिवारों के सदस्य वयस्क हो चुके हैं और शादी के बाद एल.पी.जी. कनेक्शन प्राप्त करने के हकदार भी हैं। इस मामले में याचिकाकर्ता के वकील सिद्धार्थ बाफना ने कहा कि कई लोग जो वयस्क हो चुके हैं और अपना अलग परिवार चला रहे हैं, उन्होंने इस योजना के तहत गैस कनेक्शन भी लगवा लिये हैं।

याचिका के अनुसार गैस सिलेण्डर वितरक कम्पनियों के संघ ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत प्रदेश में तीन लाख गैस कनेक्शन जारी कर दिये हैं। याचिका कर्ताओं का कहना है कि अगर पैट्रोलिय मंत्रालय के 17 जुलाई 2022 के आदेश के तहत लाभार्थियों के पूरे परिवार के आधार कार्ड की जानकारी दी तो आंकड़ों का 'डुप्लीकेशन' होगा और ऐसा प्रतीत होगा कि एक ही परिवार के अंदर अलग-अलग लोगों के नाम पर गैस कनेक्शन जारी किये गये हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि पैट्रोलियम मंत्रालय के आदेश का पालन किया जाये तो कई वास्तविक लाभार्थियों के गैस कनेक्शन रद्द करने पडेगें और गैस सिलेण्डर वितरक कम्पनियां भी अनुचित तरीके से दण्ड की भागीदार होंगी।

इस मामले में पैट्रोलियम मंत्रालय और सरकारी तेल कम्पनियों की तरफ से अधिवक्ता सुरूचि कासलीवाल पैरवी के लिए पेश हुई थी। न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह ने सुनवाई के बाद याचिकाकर्ता, गैस सिलेण्डर वितरक कम्पनियों के संघ, को आदेश दिए हैं कि वे दो माह के अंदर सरकारी तेल कम्पनियों और पैट्रोलियम मंत्रालय द्वारा लाभान्वित परिवारों के सभी सदस्यों के आधार कार्ड की जानकारी मुहैया करवाएं। अदालत ने पैट्रोलियम मंत्रालय और सरकारी तेल कम्पनियों को आदेश दिये हैं कि वे अभी याचिकाकर्ता गैस सिलेण्डर वितरक कम्पनियों पर कोई कार्रवाई नहीं करें। अदालत ने इस मामले की सुनवाई की अगली तारीख 20 मार्च तय की है और केन्द्र सरकार और सरकारी तेल कम्पनियों को अपना जबाव दायर करने को कहा है।

- यह मामला जटिल इसलिए हो गया, क्योंकि, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लाभ प्राप्त कर रहे परिवारों के आंकड़े 2011 की सामाजिक आर्थिक जनगणना पर आधारित हैं।
- याचिकाकर्ताओं का कहना है कि 2011 के सर्वे के बाद अब तो इन परिवारों के बच्चे भी वयस्क हो गये हैं और उन्होंने भी इस योजना के तहत गैस सिलेण्डर प्राप्त किये हैं।
- इस मामले में जटिलता इस लिए भी आई, क्योंकि, केन्द्र सरकार ने लाभान्वित परिवारों को चिन्हित करने की प्रक्रिया में कई बार परिवर्तन किये और साथ ही यह भी निर्देश दिये कि, ज्यादा से ज्यादा गैस कनैक्शन लगाएं।